फा. सं. 25—10/ 2004—डीडी III/एनआई
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद की नियुक्ति

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (यहां इसके बाद, 'अधिनियम') की धारा 3 (1) के तहत गठित एक सांवधिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आरसीआई को पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कर्मियों और व्यावसायिकों के प्रशिक्षण के मानकीकरण और विनियमन की दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, अध्यक्ष, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है, को पुनर्वास, दिव्यांगताओं और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक अर्हताओं के साथ प्रशासन में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होना चाहिए। आवेदन पत्र सहित पात्रता मानदंड और अन्य सभी प्रासंगिक विवरण विभाग की वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2. पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी, विभाग की वेबसाइट पर दर्शाए गए, निर्धारित प्रोफार्मा में सहायक दस्तावेजों के साथ, श्री डी.के. पंडा, अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा नंबर 518, 5वीं मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली —110003 को 30 जून, 2019 तक आवेदन कर सकते हैं।

*****